

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांकपटना, दिनांक.....
नि० 10/08/2022 प्रशाखा 03 RCS (221067)

सेवा में,
महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम के अंतर्गत अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के संचालन हेतु IVRS Call Centre की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव के लिए M/S IFFCO Kisan Suvidha Ltd, फरीदाबाद को त्रैमास (जुलाई 2024 से सितंबर 2024) तक किये गये कार्य के विरुद्ध पारिश्रमिक के रूप में मूल राशि रु० 6,37,500 /- (छः लाख सैतीस हजार पांच सौ) रु० एवं 18 % GST की राशि रु० 1,14,750 /- (एक लाख चौदह हजार सात सौ पचास) यानि कुल रु० 7,52,250 /- (सात लाख बावन हजार दो सौ पचास) मात्र के भुगतान हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम के अंतर्गत अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के संचालन हेतु IVRS Call Centre की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव के लिए M/S IFFCO Kisan Suvidha Ltd, फरीदाबाद को त्रैमास (जुलाई 2024 से सितंबर 2024) तक किये गये कार्य के विरुद्ध पारिश्रमिक के रूप में मूल राशि रु० 6,37,500 /- (छः लाख सैतीस हजार पांच सौ) रु० एवं 18 % GST की राशि रु० 1,14,750 /- (एक लाख चौदह हजार सात सौ पचास) यानि कुल रु० 7,52,250 /- (सात लाख बावन हजार दो सौ पचास) मात्र के भुगतान हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग संख्या-09 मुख्य शीर्ष 2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105 सूचना एवं प्रचार, उप शीर्ष-0101-सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विस्तृत शीर्ष-28-व्यवसायिक सेवायें, विषय शीर्ष-03 कन्सलटेंसी, विपत्र कोड-09-2425001050101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। राशि की निकासी सी०एफ०एम०एस० (CFMS) में fully vouched contingent bill के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा M/S IFFCO Kisan Suvidha Ltd., फरीदाबाद को भुगतान किया जायेगा। इसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- नि० 10/08/2022 प्रशाखा 03 RCS (221067) के पृष्ठ संख्या- 57/टि० पर दिनांक 24.01.2025 को दी गई है।

8. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- नि० 10/08/2022 प्रशाखा 03 RCS (221067) पृष्ठ संख्या- 57/टि० पर दिनांक 25.01.2025 को दी गई है।

ह०/-

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

जापांक 442/पटना, दिनांक 28/01/25
नि० 10/08/2022 प्रशाखा 03 RCS (221067)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को मुहरबंद लिफाफे में।
2. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना को मूल अभिश्रव सहित/अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा-3 (बजट), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
4. M/S IFFCO Kisan Suvidha Ltd., 700B, 7th floor, SRS Tower, Sector-31, Faridabad Haryana- 121003

11/5/25
27-01-2025

सरकार के अपर सचिव।

115
आई०टी० मैनेजर
रजु